अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2006

का.आ. 1834(अ).—जबकि आयकर अधिनियम,1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 5 अप्रेल, 2004 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 461(अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ग्रामींण विकास ट्रस्ट, 49-50, रेडक्रास हाउस, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 द्वारा (क) पश्चिम भारत वर्षा पर निर्भर खेती की परियोजना (ख) पूर्वी भारत वर्षा पर निर्भर खेती की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 10 पर विनिर्दिष्ट किया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है,इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्रामीण विकास ट्रस्ट, 49-50, रेडक्रास हाउस, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 द्वारा चलाई जा रही (क) पश्चिम भारत वर्षा पर निर्भर खेती की परियोजना (ख) पूर्वी भारत वर्षा पर निर्भर खेती की की परियोजना या स्कीम को (5 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 9.60 करोड रूपयें) की अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 301/2006/फा. स. एन सी-274/03/2006]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)